

Sl No. 228

RTI MATTER /BY SPEED POST

F.No.36/04/2011-R&SO  
Government of India  
Ministry of Home Affairs  
(FFR Division)

NDCC-II Building, Jai Singh Road,  
New Delhi, dated 10.05.2013

To

Shri Makhtiyar Singh Sufi,  
WZ-168, Khampur,  
West Patel Nagar,  
New Delhi-110008.

Sub:- Application under RTI Act., 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 22.03.2013 received in this Division on 12.04.2013 through RTI Section of this Ministry on the above subject. The pointwise information is given as under:-

With regard to Point No.3, this is to state that as per the Annual Report of the then Ministry of Rehabilitation for the year 1955-56, 84.05 lakhs displaced persons had come to India. Out of this, 47.20 lakhs were from West Pakistan and 36.85 lakhs from East Pakistan. Regarding the number of Muslims who went to Pakistan and came back to India, the information are not available in the record.

As regards Point No.4, the displaced persons who had come from the then West Pakistan were rehabilitated in different states of the country by providing compensation in the form of land/cash in lieu of the property left behind in West Pakistan in terms of the provisions of Displaced Persons (Compensation & Rehabilitation) Act, 1954 and the rules made thereunder.

As regards Point Nos .5 & 6, the information are not available in the record.

As regards Point No.7, the files pertaining to the matter being very old are not traceable. However, in Annual Report of the then Ministry of

● Rehabilitation for the year 1955-56, some overall statistical data available is enclosed herewith.

As regards Point No.8, the information is not available in the Ministry's record.

As regards Point Nos. 9, 10, 11 & 14, a copy of your application is being sent to IS Division of this Ministry for providing the required information.

You may approach J & K Division of this Ministry for obtaining the required information in respect of Point Nos 12 & 13.

Regarding Point Nos 15 & 16, No information has been maintained in this Ministry, you may approach the concerned State Government in this regard.

As regards Point No.17, a copy of your application is being sent to Foreigners Division of this Ministry for providing the required information.

If you are not satisfied with this reply, you may prefer to file an appeal before the 1<sup>st</sup> Appellate Authority as detailed below:-

"Joint Secretary (FFR), Ministry of Home Affairs,  
2<sup>nd</sup> Floor, NDCC-II Bldg., Jai Singh Road, New Delhi."

Hindi version will follow -

On T.S.  
13/11/13  
VS/IS-II

RTI-228/Dir (25-2)/13  
13/11/13

Yours faithfully,

  
(R.C.Nayak)

Director/CPIO

along with a copy of RTI application


Copy forwarded for necessary action to the following :-

Recd. on  
13/11/13  
  
13/11/13  
PA to Dir (25-2)

- ✓ 1. Director/CPIO (IS-I), M.H.A., North Block, New Delhi for giving reply to the applicant in respect of point Nos. 9, 10, 11 & 14.
2. Director/CPIO, J&K Division for giving reply to the applicant in respect of point Nos. 12 & 13.

...3/-

3. Director/CPIO, Foreigners Division, M.H.A., NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi for giving reply to the applicant in r/o Point No. 17.

  
(R.C.Nayak)  
Director/CPIO

ट्रिवाइल दस्तावेज़ / 3/2013

RTI / - NO - 31/02322

कृत्यालय संगठन

राष्ट्रीय कृषि बोर्ड

राष्ट्रीय कृषि बोर्ड

राष्ट्रीय कृषि बोर्ड

(2030/07/2013)

प्राप्ति

कृषि बोर्ड

मा. : RTI एवं 2005 के तहत

दर्शक जी मानजी विनाम् तबदेन मह है, कि RTI ACT 2005 के तहत मुझे विनाम् जिरिवत प्रश्नाके उत्तर पूर्ण तर्जो सहित देवं व जो प्रदत्त अनुदिग्दागो ऐसमें स्थित हो उत्तरम् उत्तर साधनीयत विद्वान् ते RTI। एकल की वारा 6(3) के तहत दिल्ली नाम सम्बन्ध दोषागो सर्वान् उत्तर हिन्दी व हिन्दी उत्तरों के साथ प्रश्नभी जीवित/इस सरकार द्वारा भारत देशको कल्पनात्मक फूलनकी गई विस्तर सरकार की ओर से काबू किस जीविकारी ने हृताक्षर किम् उन सभी पंपरोंकी प्राप्तालिपी गोदे।

हिन्दुस्तान कामकांडवाराकाव चिन कागजातो द्वारा जिमागुदा परिस्तान वाल लेनामागाम् विशेष सरकार भारत सरकार परिस्तान की ओर से वर्तवार मंजून-2 सरीन इंद्रेवत्तु व सक-2 क्रिस-2 कांगातो परवद्वारे के तहत हृताक्षर किम् उन सभी पंपरोंकी प्राप्तालिपी गई।

हिन्दुस्तानवर्तवोर में भारत से कितने मुसलमान परिस्तान गोदे व परिस्तान से कितने लोग परिवार भारत कामे गढ़ि पुरी-2 गिनती सरणा सम्बन्ध दी तो लगागग आमड़े दे व कितने मुसलमान लोग परिवार परिस्तान सेजाने के लाद विस आगम जौसा हारिमाने मेवत आजादी के लाद देश बृद्धवारे के लाद परिस्तान से आमे सभी शारणाथी गो गो भारत देश में काहाँ-2 इस तरह से लेसामा गामा। इन सभीको जमीने घर किस-2 राज्यों में काहाँ-2 भासे दी गामी जैसे अनुदान मेहरानोंमें किसी भी जो गी दोसामी उड़े लदे।

देशवर्तवरे के समग्रकल-2 कितने आदमीहो परिवारों को हमारे जी गई पुरी सभण हो तो दूर आ जान्दो अनुसार जानकारी दे तो किस-2 कितनी काहाँ-2 जमीने दिल्ली में परिस्तान से आमे शारणाथी गो के लागे काहाँ-2 कितनी काहाँ-2 जमीने दिल्ली कर कितनी कालोतिगां काहाँ-2 करसाई गई व काहाँ-2 कितने घालें एवामार कर कितनी कालोतिगां काहाँ-2 करसाई गई व काहाँ-2 कितने गो

जना-2 कर हृन्दे किस-2 रेट में दिल्ली गो इनके जगतार के लिए वगा-2 गो जनामें बनाइ गई व काहाँ-2 किस-2 रेट में हृन्दे हृन्दे जगतार के लिए वगा-2 गो जमीनों मालेंदो की चिस्तो में कितनी- कितना-2 अनुदान हृद्वा ग्रामाव हृन्दे दी गई जमीनों मालेंदो की चिस्तो में कितनी-

कुट दी गई त्रिनोकुरिमा भै इनके लागे जो विशेष छुविवा पूर्ववान किम् गो उनकी ग्रामाव

इनकी छुविवा के लागे किरामा कानुन विससे हृन्दे त्रिकाला नीजो सके जिस

मालिकमान के गहाँ गे रह रहे हैं कल कैसे व कितने दिनी के लिए जनामागामा

वर्तमान समग्र में लगागग कितने रेसे किरामेदार हैं व कितने रेसे किरामेदार व

मालिकमाली के मुसलमेन जानलगो ते लम्बित पड़ है पूर्ण जिमो ग्रामावित्यो साहृत-

परिस्तान के साथ कल-2 कितने जुद (लड़ाग) गोरह क्षाय किसका तको लेकर लड़ी गई व उनमें

दोनों ओर से कितने अनुदमी मारे गए व उन पर कितना धन दोनों ओर से व गारं की जारे दीगो-

हुआ पुराजोरा ना होता लगागग आमड़े।

परनावारतमि, उग्रवाद कवर से कल तक रहा व उग्रवाद दोरमें कितने सीवल किस-2

राज्यों के लोग व कितने सरकारी जीज जिपाई आदि जुल कितने मारे गए।

मालाहू में लड़ावद दोरमें पलाहणा कुल कितना सरकार देन जाग त्रिआ उसे

(1) नियमित रूप से जाति के लिए विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
जापनी मार्गदर्शन  
 (1) अमेरिका में अमेरिका की ओर से उत्तरी अमेरिका की ओर में विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 (2) ब्रिटेन के लिए विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 उक्त लोगों को इसका क्या हुआ  
 1. पश्चिम, उत्तर, काश्मीर, दक्षिण, विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 मार्ग से विवरण। दिल्ली से जाने हुए विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 - 2 किलोमीटर अंतर के लिए विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 2) दिल्ली से उपरोक्त दूरी के विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 (3) विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 विभिन्न विधियाँ दी जाती हैं।  
 3-4 विधियाँ दी जाती हैं।

*R. Singh*

नाम- मुख्यमंत्री राजेन्द्र सूक्ष्मा

४८८ - WZ-168 रवाम्युर

## वैद्यनाथ नगर

~~2008~~ 110008

Ph-9654247745

२००३५  
सं. ॥/२०१३/२०/२०१३-आई एस.॥ (पाट)  
भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
आई एस-। प्रभाग(आई एस-॥) डेस्क)

आर टी आई मामला

Reply of sl No. 228

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक: २६ | नवम्बर, 2013

सेवा में,

✓ श्री मुख्तयार सिंह सूफी,  
डब्ल्यू जैड -168, खासपुर,  
वेस्ट पटेल नगर,  
नई दिल्ली-110008

दिष्य: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन के संबंध में।


महोदय,

कृपया बिन्दु सं. 9,10,11 तथा 14 के संबंध में सूचना के लिए मुझे प्राप्त इस मंत्रालय के एक एक आर प्रभाग द्वारा पत्र सं. 36/०४/२०११-आर एंड एस ओ द्वारा अवेदित आपके दिनांक 22.३.२०१३ के पत्र का संदर्भ लें।

2. बिन्दु सं. 9 तथा 14 के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आपके आवेदन की एक प्रति रक्षा मंत्रालय को निजवाई जा रही है।
3. बिन्दु सं. 10 तथा 11 के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आपके आवेदन की एक प्रति इस मंत्रालय के निदेशक (आई एस-॥) को निजवाई जा रही है।
4. यदि आप उपर्युक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर उस प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष एक अपील दायर कर सकते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

श्री राकेश सिंह  
संयुक्त सचिव (आई एस-॥)  
गृह मंत्रालय,  
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

अनुलेखनक : यथोपरि



सूचनार्थी प्रतिलिपि:

1. रक्षा मंत्रालय, आर टी आई सेल, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को आवेदक को बिन्दु सं. 9 तथा 14 से संबंधित उत्तर देने के लिए। आवेदन की एक प्रति संलग्न है।
2. निदेशक/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (आई स-॥) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को आवेदक को बिन्दु सं. 10 तथा 11 से संबंधित उत्तर देने के लिए। आवेदन की एक प्रति संलग्न है।
3. निदेशक/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय (एक एक आर प्रभाग) एन डी सी सी-॥ भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली को दिनांक 10.05.2013 के पत्र सं. 36/०४/२०११-आर एंड एस ओ के संदर्भ में।
4. श्री एस. सामंत, अवर सचिव (आर टी आई) गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

PI. Issue

Re. 26/11/13  
Dated...../...../.....